सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2253/DN/3/2023-RO-BH **दिनांक: 06.05.2026**

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-दादरा और नगर हवेली, सिलवासा,
कार्यालय जिला कलेक्टर, सिलवसा,
दादरा और नगर हवेली-396230 ,
ई-मेल: collector-dnh@nic.in
collector-dnh@ddd.gov.in

विषय: आवेदक के पूर्वजों की भूमि को फर्जी तरीके से बेचने के सम्बंध में श्री रवी वाज्या मोर, मोरपाडा, आंबोली, वेलुगाम, दादरा एवं नगर हवेली -396230 से प्राप्त दिनांक 27.07.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 22.09.2023 एवं 28.03.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 18.05.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री रवी वाज्या मोर, मोरपाडा,
आंबोली, वेलुगाम, दादरा एवं नगर हवेली -396230
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2253/DN/3/2023-RO-BH

दिनांक: 22/09/2023

1. श्री प्रियांक किशोर
   कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
   कलेक्टर कार्यालय, सिलवासा,
   सिलवासा,
   दादरा और नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली 396230
   Email Id: collector-dnh@nic.in

विषय: श्री रवी वाज्या मोर, मोरपाडा, आंबोली, वेलुगाम, दादरा एवं नगर हवेली - आवेदक के पूर्वजों की भूमि को फर्जी तरीके से बेचने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री रवी वाज्या मोर से दिनांक 27/07/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है ।

O/C

दी. खन्ना
(दीपिका खन्ना)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री रवी वाज्या मोर,
मोरपाडा, आंबोलली, वेलुगाम,
दादरा एवं नगर हवेली- 396230,
Mobile No:9574885962

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 2599 - 2600
दि. 25/09/23

कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल -462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal-462011
Email: ro-bhopal@ncst.nic.in, Telefax : 0755-2576530, 2578272

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising power of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERELA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

फा. सं.: **NCST/DEV-2253/DN/3/2023-RO-BH**

दिनांक: 28/03/2025

1. **श्री प्रियांक किशोर**
   जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
   सिलवासा,
   दादरा एवं नगर हवेली 396230
   Email Id: collector-dnh@nic.in

विषय: **श्री रवी वाज्या मोर, मोरपाडा, आंबोली, वेलुगाम, दादरा एवं नगर हवेली - आवेदक के पूर्वजों की भूमि को फर्जी तरीके से बेचने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन।**

महोदय,

आपका ध्यान इस कार्यालय के उपर्युक्त विषयक समसंख्यक पत्र दिनांक 22-09-2023 की ओर दिलाते हुए कथन है कि इस मामले में आपका उत्तर दिनांक 22-10-2023 तक प्राप्त होना अपेक्षित था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मैं इस मामले में शीघ्र उत्तर के लिए अनुरोध करता हूँ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है और आपसे यह आशा की जाती है कि आप निश्चित समयावधि के भीतर उत्तर दें अन्यथा आयोग इस मामले को निपटाने में दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करने को बाध्य होगा।

o/c

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

प्रतिलिपि :

श्री रवी वाज्या मोर,
मोरपाडा, आंबोली, वेलुगाम, दादरा एवं नगर हवेली

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
प्रेषण संख्या / Issue No. 656, 57
दिनांक / Dt. 28/03/25

कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011
E-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in, Telefax : 0755-2576530, 2578272